लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 ए.पी.आई. इस्पात एंड पॉवरटेक (प्रा.) लिमिटेड द्वारा ग्राम–सिलतरा, जिला–रायपुर (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् (1) ऑयरन ओर बेनिफिकेशन एण्ड पैलेटाईजेशन प्लांट–1X2000 टन/दिन या 2X1000 टन/दिन (0.6 मि.टन/वर्ष), (2) पैलेट प्लांट हेतु गैसीफायर–14250 सामान्य घनमीटर/घंटा, (3) स्टील मेल्टिंग शॉप, (ए) सी. सी.एम. युक्त इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस.इंगॉट्स/बिलेट्स/ब्लूम्स)–3X15 टन (162000 टन/वर्ष) (ब) ए.ओ.डी./वी.ओ.डी. के साथ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एवं कास्टर (एम.एस. एण्ड एस.एस.इंगाट्स/बिलेट्स/ब्लूम्स)–2X20 मी.टन–120000 टन/वर्ष, (4) रोलिंग मिल (रोल्ड प्रोडक्ट्स/स्ट्रक्चरल स्टील्स/टी.एम.टी. बार्स) 1X650 टन/दिन–(2,00,000 टन/वर्ष), (5) रोलिंग मिल हेतु गैसीफायर–15500 सामान्य घनमीटर/घंटा, (6) फेरो एलॉयज–(2X9 एम.वी.ए.), (अ) फेरो–सिलिकॉन–12600 टन/वर्ष या (ब) सिलिको–मैग्नीज–28400 टन/वर्ष या (स) फेरो–मैग्नीज–37000 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 10.04. 2018 को आयोजित लोक सुनवाई** का विवरण।

मे0 ए.पी.आई. इस्पात एंड पॉवरटेक (प्रा.) लिमिटेड द्वारा ग्राम–सिलतरा, जिला–रायपुर (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् (1) ऑयरन ओर बेनिफिकेशन एण्ड पैलेटाईजेशन प्लांट–1X2000 टन/दिन या 2X1000 टन/दिन (0.6 मि.टन/वर्ष), (2) पैलेट प्लांट हेतु गैसीफायर–14250 सामान्य घनमीटर/घंटा, (3) स्टील मेल्टिंग शॉप, (ए) सी.सी.एम. युक्त इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस.इंगॉट्स/बिलेट्स/ब्लूम्स)–3X15 टन (162000 टन/वर्ष) (ब) ए.ओ.डी. /वी.ओ.डी. के साथ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एवं कास्टर (एम.एस. एण्ड एस.एस. इंगाट्स/बिलेट्स/ब्लूम्स)–2X20 मी.टन–120000 टन/वर्ष, (4) रोलिंग मिल (रोल्ड प्रोडक्ट्स/स्ट्रक्चरल स्टील्स/टी.एम.टी. बार्स) 1X650 टन/दिन–(2,00,000 टन/वर्ष), (5) रोलिंग मिल हेतु गैसीफायर–15500 सामान्य घनमीटर/घंटा, (6) फेरो एलॉयज–(2X9 एम.वी.ए.), (अ) फेरो–सिलिकॉन–12600 टन/वर्ष या (ब) सिलिको–मैग्नीज–28400 टन/वर्ष या (स) फेरो–मैग्नीज–37000 टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। नवभारत तथा टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली) समाचार पत्रों के मुख्य संस्करण में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर **10.04.2018 (मंगलवार) को प्रातः 11:30 बजे से परियोजना स्थल ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) पर** सुनवाई नियत की गई, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई।

प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 10.04.2018 को डॉ0 रेणुका श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छ. ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर, उद्योग प्रतिनिधि श्री शिव अग्रवाल तथा लगभग 100 जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई प्रातः 11:48 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

3. डॉ0 एस.के. उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया से जन सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।

4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया।

5. **परियोजना प्रस्तावक** श्री शिव अग्रवाल, डॉयरेक्टर मे0 ए.पी.आई. इस्पात एंड पॉवरटेक प्रा. लिमिटेड द्वारा परियोजना के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होने बताया कि, क्षमता विस्तार के तहत् (1) ऑयरन ओर बेनिफिकेशन एण्ड पैलेटाईजेशन प्लांट–1X2000 टन/दिन या 2X1000 टन/दिन (0.6 मि.टन/वर्ष), (2) पैलेट प्लांट हेतु गैसीफायर–14250 सामान्य घनमीटर/घंटा, (3) स्टील मेल्टिंग शॉप, (ए) सी.सी.एम. युक्त इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस.इंगॉट्स/बिलेट्स/ब्लूम्स)–3X15 टन (162000 टन/वर्ष) (ब) ए.ओ.डी./वी.ओ.डी. के साथ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एवं कास्टर (एम.एस. एण्ड एस.एस. इंगाट्स/बिलेट्स/ब्लूम्स)–2X20 मी.टन–120000 टन/वर्ष, (4) रोलिंग मिल (रोल्ड प्रोडक्ट्स/स्ट्रक्चरल स्टील्स/टी.एम.टी. बार्स) 1X650 टन/दिन–(2,00,000 टन/वर्ष), (5) रोलिंग मिल हेतु गैसीफायर–15500 सामान्य घनमीटर/घंटा, (6) फेरो एलॉयज–(2X9 एम.वी.ए.), (अ) फेरो–सिलिकॉन–12600 टन/वर्ष या (ब) सिलिको–मैग्नीज–28400 टन/वर्ष या (स) फेरो–मैग्नीज–37000 टन/वर्ष लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उद्योग के पास 96.57 एकड़ परिवर्तित भूमि उपलब्ध है तथा इसी भूमि पर ही क्षमता विस्तार प्रस्तावित है एवं अतिरिक्त भूमि क्रय नही की जावेगी। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के लिए वर्तमान पर्यावरण नियमानुसार हमारे द्वारा केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, इसी तारतम्य में यह लोक सुनवाई आयेजित की गई है। उन्होने बताया कि, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रस्तावित (1) आयरन ओर बेनिफिकेषन एवं पैलेटाईजेशन प्लांट में इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रैसिपिटेटर, (2) पैलेट प्लांट हेतु गैसीफायर में सायक्लोन (3) स्टील मेल्टिंग शॉप (अ.) सी.सी.एम. युक्त इण्डक्षन फर्नेस में बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम (ब.) ए.ओ.डी./वी.ओ.डी. के साथ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एवं कास्टर में बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैक्शन सिसटम, (4) रोलिंग मिल हेतु गैसीफायर में सायक्लोन, (5) फैरो एलॉयज़ ईकाई में बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम का लगाया जाना प्रस्तावित है। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को पार्टीकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलिग्राम/घनमीटर से कम हेतु की जावेगी। प्रस्तावित ईकाईयों से जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की रोकथाम के संबंध में उन्होने बताया कि, वर्तमान में संचालित ईकाईयों हेतु लगभग 905 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ती छ.ग. इस्पात भूमि लिमिटेड द्वारा की जाती है। प्रस्तावित संयंत्रों के संचालन हेतु 1525 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी, जिसे भी छ.ग. इस्पात भूमि लिमिटेड द्वारा प्रदाय किया जावेगा। वर्तमान में संचालित ईकाईयों में शून्य निस्त्राव संकल्प का परिपालन किया जा रहा है, जिसका परिपालन क्षमता विस्तार के बाद भी किया जावेगा। श्री अग्रवाल ने बताया कि, प्रस्तावित संयंत्र में आयरन ओर बेनिफिकेशन ईकाई, पैलेटाजेशन प्लांट, इण्डक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, रोलिंग मिल फैरो एलॉयज़ ईकाईयों में क्लोज्ड कूलिंग सर्किट की स्थापना के कारण औद्योगिक दूषित जल जनित नही होगा तथा जल का पूर्णतः पुर्नचक्रण किया जावेगा। घरेलू दूषित जल का उपचार सेप्टिक टैंक एंव सोकपिट द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के बाद शून्य निस्सारण की स्थिती बनाई रखी जावेगी, जिससे आसपास के पर्यावरण पर दूषित जल का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। वृक्षारोपण के संबंध में उन्होने बताया कि, परिसर में लगभग 32 एकड़ भूमि वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई है तथा अभी तक लगभग 26500 नग वृक्षारोपण किया गया है। आगामी मानसून में विकसित वृक्षारोपण को और सघन किया जावेगा। उन्होने कहा कि, संचालित ईकाई में आसपास के लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिया गया है तथा प्रस्तावित परियोजना में भी स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नियमानुसार एवं

आवश्यकतानुसार किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षरण मण्डल द्वारा सुझाये गये सभी उपायों को अपनाया जायेगा जिससे परियोजना द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे।

6. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया, रायपुर ने जनसामान्य से इस परियोजना से संबंधित अपना विचार रखने, तथा इस संबंध में राय तथा जनसामान्य के लिखित एवं मौखिक सुझाव एवं आपत्ति आंमत्रित की तथा आश्वस्त किया कि जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी हो रही है।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री धनेश यादव, जनपद उपाध्यक्ष धरसींवा ने कहा कि, उद्योग प्रबंधन द्वारा कहा गया कि वे शिक्षित बेरोजगारो को रोजगार देगें, सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करेंगे, वृक्षारोपण किया जायेगा। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ एवं आशा करता हूँ कि ये अपनी बातों में कायम रहेंगे एवं उनके द्वारा गॉव के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार, सी.एस.आर. द्वारा गॉव के विकास में मदद, सामाजिक कार्य आदि उद्योग द्वारा किये जायेंगे।

2 श्री एम.आर. यदु, सरपंच ग्राम पंचायत सिलतरा ने कहा कि, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे ग्राम सिलतरा से लगे हुये ग्राम चरोदा के अग्रवाल बंधुओ के द्वारा ए. पी. आई. इस्पात का संचालन किया जा रहा है। यह एक गौरव की बात है। संजय भैया, जब चरोदा स्कूल में पढ़ते थे तो हम भी वहॉ पढ़ते थे, और मुझे जब जानकारी हुई कि उनके द्वारा यह उद्योग संचालित किया जा रहा है तो मैं गदगद हो गया और मैं उनसे मंदिर में मिला और बधाई भी दिया। चूंकि यहॉ उद्योग स्थापित होने पर यहॉ की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, पंचायत के पास जनकार्य करने हेतु शासन से इतना फंड नहीं मिल पाता है। यदि सभी उद्योग सी.एस.आर. के मापदण्ड का परिपालन इमानदारी से करेगें तो हमारा गॉव निश्चित ही विकास की ओर अग्रसर होगा। मैं विगत 10–15 वर्षो से यहॉ का सरपंच हूँ, मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि मैंने आज तक एक पैसा भी अपने लिये नहीं मांगा है, और न ही मांगूगा। गॉव के विकास के लिये या कुछ कार्य आदि को करने के लिये उद्योगों को अवगत कराया जाता है, तो बहुत से उद्योग कोई ध्यान नहीं देते हैं, वहॉ जाओ तो साहब मीटिंग में रहते हैं, जैसे कि हम लोग अपना परिवार चलाने के लिये उनसे चंदा मांगने जाते हैं। अतः मेरी सबसे बड़ी मांग यह है कि जितने भी उद्योगपति हैं, वे स्वयं आकर एक बार हम लोगों के साथ मीटिंग करें, उनको हम गॉव की समस्या से अवगत करायेंगे। आगे बताना चाहता हूँ कि जो सी.एस.आर. एक्टिविटी देखता है, उसको गांव में भेज दिया जाता है, वो सही निर्णय नहीं ले पाता है, बोलता है साहब से बात करूँगा, और मैनेजर से बात करता है, मैनेजर बोलता है मैं एम. डी. से बात करूँगा, एम.डी. साहब 10 दिन के लिये बाहर चले जाते हैं, पता नहीं कब आयेगें। अतः एक बार में जो त्वरित निर्णय ले सके, वैसे आदमी को यहॉ भेजें, जो हम लोगों के साथ मीटिंग करें, ताकि हम गॉव की समस्याओं है से उन्हे अवगत करा सकें। दूसरी बात सिलतरा में अधिकांश स्पंज ऑयरन उद्योग हैं। स्पंज ऑयरन में पॉल्युशन कंट्रोल नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है, कंट्रोल हो सकता है। यह सत्य है कि 100 प्रतिशत नहीं हो सकता, लेकिन इमानदारी से अगर सब चीज का पालन करें तो हम लोग 75 प्रतिशत पॉल्युशन को कम कर सकते हैं। यदि यहां शाम को अचानक आंधी तुफान चालु हो जाये तो सामने खड़ा हुआ आदमी नहीं दिखता है। इतना अंधेरा हो जाता है दिन में ही। अतः मैं यहॉ उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण से निवेदन करता हूँ कि वो पोल्युशन को कंट्रोल करने के लिये प्रयास करें। ये बात नही है कि पर्यावरण वाले कोशिश नहीं

4

करते हैं, वे अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं, और उसमें आज से पहले जो कंडीशन थी, उसमें सुधार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें सुधार करने की और गुंजाइश है, तो मैं उपस्थित अधिकारी से निवेदन करूँगा कि वे इस संबंध में भी उद्योगों को निर्देशित करें। प्लांटेशन का जो आंकड़ा है, उसको अगर हम लोग, जब से उद्योग स्थापित हुआ है तब से यदि आंकलन करेगें तो हम लोंगो को जितना आंकड़ा बताया जाता है, उसको अगर देखेंगे तो बस्तर जैसा लगेगा। जितना आंकड़ा बता रहे हैं, तो यहाँ जंगल जैसा लगना चाहिये। लेकिन प्रयास तो करते हैं, कि पौधा लगाते है। बच्चा पैदा होता है तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं। अतः यही कहना चाहूँगा कि पौधा 10 ही लगाये जावें, जिसमें से 9 पौधे जीवित रहें। वृक्षारोपण के 1000, 1500, 2000 आंकड़े बताने से अच्छा है कि, हम 100 पौधे ही लगायें और उसको सेफ्टी गार्ड, ट्री गार्ड आदि लगाकर उसकी देखरेख करें। आकड़ें तो यह बताते हैं, कि करोड़ो पौधे सिलतरा में लगे हैं। सी.एस.आई.डी.सी. वाले बोलते हैं कि, सिलतरा में 50000 पौधे लगाये गये हैं, तो मैं बोला भैया 5 पौधे दिखा दो, कौन जायेगा मेरे साथ में, तो कोई नहीं गया। अतः आकड़ें बताने से अच्छा है कि जमीनी हकीकत क्या है, वो बताना चाहिये। जैसे कि सिलतरा में पेयजल की अभी समर सीजन में समस्या रहती है, कुछ उद्योगो द्वारा टैंकर से पानी की व्यवस्था की जाती है। सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा यहाँ वाटर सप्लाई करने के लिये एक टैंक बना हुआ है, वहाँ सी.एस.ई.बी. का भी आफिस लगता है उसके नीचे में लगा हुआ है। करोड़ो खर्चा करके उसको बनाया गया है लेकिन वह आज तक चालू नहीं हुआ है। सी.एस.आई.डी.सी. से अगर कोई आया होगा अधिकारी तो वह इतना नोट अवश्य करे, शासन इतना पैसा खर्च करके उसको बनाया है लेकिन 15 साल हो गया वो आज तक चालू नहीं हुआ है, अगर वो चालू हो जायेगा तो सिर्फ सिलतरा ही नहीं आसपास के गाँव के भी पेयजल की समस्या है वो भी समाप्त हो जायेगी। इंटकवेल से उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सिस्टम को चालू करने से पानी की समस्या है जो गाँव में वह भी समाप्त हो जायेगी। रोजगार के संबंध में बात यह है कि हमारे गाँव के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, अभी मेरे पास जो लिस्ट है, उसमें कुछ ऐसे युवा हैं, जो अलग–अलग ट्रेड में बी.ई. और डिप्लोमा किये हुये हैं, मै वह लिस्ट रखा हूँ, जो उद्योग पहले से संचालित हैं, वहां नई नियुक्ति में समय लगता है, लेकिन नये उद्योग जो लग रहे हैं, वहाँ तो रोजगार की आवश्यकता रहती ही है। पुराने उद्योग में कोई छोड़ के जा रहा है, तो उसके बदले में दूसरे व्यक्ति को रखते है, तो उनकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो यहाँ बेरोजगार युवक हैं, उनके लिये रोजगार प्रदान करने के पहले जो इंटरव्यू, प्रेक्टिकल और थ्योरी में जो टेस्ट होता है, उसको समाप्त करके बच्चों को सीधा लिया जावे। अभी जितने भी रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू दिये युवकों के संबंध में, मैं पूछता हूँ कि रिजल्ट क्या हुआ तो, बताया जाता है कि, भैया वो तो रिटर्न टेस्ट में फेल है, नहीं भैया वो तो इंटरव्यू में ठीक से जवाब नहीं दे पाया। दूसरे क्षेत्र के बच्चों को भी रोजगार मिले, किंतु हमारे बच्चे भी बेरोगार न घूमे, इसके लिये भी ध्यान देने की जरूरत है। सी.एस.आर. एक्टिविटी का परिपालन, जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है उसके तहत करें, ये भी मेरा एक निवेदन है। साथ ही जो भी मेरे मन की बात है, उसे मैने आपके समक्ष प्रकट किया। मैं इस उद्योग के सुखद भविष्य की कामना करते हुये, यह उम्मीद करता हूँ कि यह उद्योग हमारे चरोदा का है, प्रबंधन हम लोगों की समस्या को समझते हैं और हम लोगों को सहयोग करेगें।

3 श्री सचिन मैरीसा, ग्राम सिलतरा ने कहा कि, ग्राम सिलतरा में गोदावरी पावर के बारे में बताना चाहूंगा, वहाँ पर जो रोड बनी है, उसके लिये बहुत दिनों से आज तक बोल रहे हैं कि रोड बनायेंगे, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है, इसके बारे में माननीय अधिकारियों से निवेदन है कि गोदावरी पावर में जाकर इसकी कुछ सुनवाई करें, और यहाँ भी पी.डब्लू.डी. की जो सड़क बनी है, सिलतरा में बाजार चौक से बिलासपुर रोड तक, उसे पता नहीं कैसे बनाया गया है, मात्र दो से ढाई साल हुआ है उसे बने हुये, उसमें सीमेंट

लगा है कि भूसा डाल दिया है, दो ही साल में उखड़ गया है। इसका क्या करना है, यहीं बोलना चाहता हूँ मैं कि इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी। बनाना हो तो अच्छे से बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। सीधी सी बात है, उसमें भूसा डाल दिये हो, सीमेंट का पता नहीं, सीमेंट कहॉ है। वहॉ पर बड़े वाहन की आवाजाही रहती ही नहीं है, जो भी आता है, बाइक से आता जाता है और अगर बड़े वाहने आते, तो पता नहीं रोड का क्या हाल होता। ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिलतरा में 150 से अधिक प्लांट हैं और यहॉ पर इतना प्रदूषण हो रहा है कि टी.बी. फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है। यहां प्रदूषण के लिये खास ध्यान दिया जावे। इन उद्योगों द्वारा बिजली को बेचा जा रहा है। मेरा यही कहना है कि 150 से अधिक प्लांट हैं सिलतरा क्षेत्र में और सिलतरा में एक गरीब के यहॉ 4000 रूपये अधिक बिजली बिल आता है। तो मेरा यह कहना है कि, प्लांट से यदि बिजली दी जावे आगे आप लोगों की जैसी मर्जी, कार्यवाही करें या ना करे, मुझे क्या मतलब, मेरा काम बोलना है कि, बिजली उपलब्ध कराई जावे, आप लोग ही बताओ, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसका 4000 रूपये बिजली बिल आता है, तो यह गलत बात है। पावर प्लांट 150 से अधिक है सिलतरा के अंतर्गत, यहॉ देखा जाये तो प्रदूषण का तो हल ही नहीं है। सिलतरा से बाहर जाने पर श्वांस लेना अच्छा लगता है, सिलतरा में घुटन लगती है। अतः प्रदूषण को कम करें और इसके लिये कार्यवाही की जावे, बस मेरा यही कहना है।

4 श्री केवल कुमार चक्रधारी, ग्राम खुलमुड़ी ने कहा कि, मैं ग्राम खुलमुड़ी का निवासी हूँ। इंडिस्ट्रीयल एरिया में, खुलमुड़ी से आये हैं, यह बताने पर प्लांट वाले पूछते हैं कि, खुलमुड़ी कहॉ पर हैं ? मुरेठी एनीकट के एक ओर ग्राम खुलमुड़ी स्थित है। मुरेठी एनीकट क्या तलाब में बना है ? नदी है, तो दो किनारें भी होंगे। एनीकट की वजह से बाढ़ आने पर तथा और दूसरी समस्याओं को हम लोगों को भी सहना पड़ता है, लेकिन सी.एस.आर. की राशि से हमारे गांव में शायद ही कोई कार्य किया जाता है। मात्र 50 प्रतिशत प्लांट वाले ही कार्य करते होंगे शेष 50 प्रतिशत नहीं। मैं भी खुलमुड़ी से आया हूँ, मैं भी प्रभावित हूँ, अतः सी.एस.आर. की राशि या प्लांट के स्वैच्छिक मद से हमारे गॉव के लिये भी कुछ कार्य किये जायें, जैसे गांव के तालाब का पचरीकरण, पौधारोपण या गलियों का कांक्रीटीकरण। ऐसे कुछ कामों के लिये औद्योगिक क्षेत्र से हम आशा रखते हैं। गांव के विकास के सारे कार्य सरकार द्वारा नहीं हो पाते हैं, इसलिये औद्योगिक क्षेत्र से हम भी चाहते हैं कि, हमारे भी कुछ मतलब का निराकरण किया जावे। बस इतना ही कहना था।

5 श्री प्रशांत ठाकुर, छ.ग. मजदूर कांग्रेस ने कहा कि, मैं कुछ बिंदुओ को लेकर आपके बीच पहुँचा हूँ। ए.पी.आई. इस्पात के क्षमता विस्तार के संबंध में विषय यह है कि, पर्यावरण स्वीकृति करने वाली समिति का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण भंग हो गयी है, तो क्या यह जनसुनवाई उचित है। मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं – पहला यह कंपनी जहॉ विस्तार कर रही है, पूर्व में उस जगह को ग्रीन लैंड के लिये छोड़ा गया था। दूसरा कि इस कंपनी ने विगत चार साल से सी.एस.आर. पैसे से कोई काम नहीं किया ना ही ब्यौरा दिया, इस कंपनी का जब पूर्व में मालिकाना हक चेंज हो चुका था तब यहॉ के 60 कर्मचारियों को ना तो कोई नयी नौकरी मिली ना ही पिछला वेतन भत्ता दिया गया। सी.एस.आई., पी.एफ. जैसा कुछ भी प्रावधान नहीं है, और ना ही कंपनी शासन के किसी नियम को मानती है। कंपनी का पूर्व मालिक कंपनी के नाम से बैंक आफ त्रावणकोर से करोड़ों का कर्ज खाकर दिल्ली भाग गया है, उसको बैंक ढूंढता फिर रहा है, हालाकि वह इस कंपनी में शेयर होल्डर है। क्षमता विस्तार की जो बात हो रही है, उसके लिये पानी कहॉ से आयेगा, यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सी.एस.आई.डी.सी. के पास पानी भी नहीं है, और सिलतरा, सांकरा एवं सोण्ड्रा का जल स्तर वैसे भी निचले स्तर पर है। नई युनिट कोयले से चलेगा या किसी और से, यह भी स्पष्ट नहीं है, और यदि यह कोयले से चलेगा, तो पर्यावरण की भरपायी कैसे होगी। नवीन मास्टर प्लान में शहरी आवासीय क्षेत्र में सिलतरा भी आता है,

c

फिर वहॉ कैसे अनुमति दी जा सकती है। सबसे बड़ी बात पर्यावरण स्वीकृति करने वाली समिति का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण भंग हो गयी है, तो क्या यह जनसुनवाई उचित है ? इसे लेकर मैं आप लोगों के बीच पहुंचा हूं, बस यही कहना चाहता हूँ।

6 श्री शिव कुमार सारंग, ग्राम सिलतरा ने कहा कि, हमारे गॉव के सरपंच जी बोल चुके हैं, लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, हमारे सिलतरा क्षेत्र में बहुत से प्लांट हैं, एक दो प्लांट को छोड़ कर शेष सभी प्लांट में मजदूरी की दर बहुत कम है। निम्न स्तर में मजदूरी रेट दिया जाता है। 8 घंटे डयुटी करते है और 200—250 रूपये पारिश्रमिक दिया जाता है, ये बहुत कम है। न्यूनतम पारिश्रमिक 350 रूपये निर्धारित है, किंतु सिलतरा क्षेत्र में ऐसा कोई प्लांट नहीं है, जो 350 रूपये पारिश्रमिक का भुगतान करता हो। आठ घंटे की मजदूरी 350 रूपये नहीं दी जाती है। अतः मैं महोदय से निवेदन करता हूँ कि इस बारे में उचित कार्यवाही करें, यही मेरी आपसे आशा है।

7 श्री मनजस वर्मा, ग्राम छपोरा, मांढर ने कहा कि, मैं आज सुबह तालाब में नहाने गया तो पता चला कि जनसुनवाई का कार्यकम रखा गया है, मैं गॉव में खेती बाड़ी का काम करता हूँ, उद्योग द्वारा यदि यहां क्षमता विस्तार किया जा रहा है, तो मुझे भी मेरी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जावे।

8 श्री मीठाराम साहू, ग्राम निमोरा ने कहा कि, मैं ग्राम पंचायत निमोरा का निवासी हूँ, आज सुबह ही एक दोस्त के माध्यम से ज्ञात हुआ कि सिलतरा ग्राम पंचायत में जन सुनवाई का कार्यक्रम है, और यदि कोई समस्या है, तो जनसुनवाई में जा सकते हो, तो मैने यह सोचा कि चलो कुछ तो पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे लायक भी कोई काम मिल जाये, और जो अन्य दोस्त हैं, उनके लायक भी यदि कुछ काम मिल सके, तो उन्हे भी मैं बता सकूं अथवा गॉव में कुछ समस्या हो तो उसका हल निकल सके, तो इसी उम्मीद से मैं भी यहां आया हूँ, कि मेरे लायक भी कोई काम मिल जाये या दोस्तों को काम मिल जाये, या गॉव में पानी की समस्या आदि का हल निकल जावे। इसलिये मैं अपनी बात रखने आया हूँ कि जो भी पढ़ा लिखा है, वो बेरोजगार ना घुमें, योग्यतानुरूप उसको कोई काम मिल जाये तो बहुत अच्छी बात है।

9 श्री तरूण निषाद, ग्राम सोण्ड्रा ने कहा कि, मैं इस क्षेत्र के कम से कम 10 विभिन्न संयंत्रों में ठेकेदारी के माध्यम से काम कर चुका हूँ, हर जगह ठेकेदारी ही चल रही है। अतः जिस प्रकार सिलतरा क्षेत्र में आपके संयंत्रों का विकास हो रहा है, उसी प्रकार हमारा भी विकास होना चाहिये, और हमें स्थाई रूप में कहीं नौकरी मिलनी चाहिये। बस यही चाहता हूँ।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दे/टीका—टीप्पणी आदि पर परियोजना प्रस्तावक श्री शिव अग्रवाल ने कहा कि, जनसुनवाई के दौरान आप लोगों ने कुछ मुलभूत समस्याओं से अवगत कराया है, और हमारी कोशिश होगी कि, निश्चित रूप से हम आपकी इच्छाओं और आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। रोजगार के संबंध में जो मांग की गई है, उसे मैने व्यक्तिगत रूप से नोट किया है, और मेरा यह वादा है कि स्थानीय लोगों को योग्यतानुरूप रोजगार प्रदान किया जावेगा। पानी की समस्या का निराकरण सी.एस.आर. के माध्यम से तथा हमारे पास उपलब्ध व्यवस्थाओं के माध्यम से पूरी तन्मयता एवं शिद्दत से की जावेगी, चाहे इसमें जो भी व्यय करना पड़े। वृक्षारोपण के संबंध में बताना चाहूंगा कि, पिछले दो—तीन सालों से जो वृक्षारोपण किये गये हैं, वे काफी विकसित हो गये हैं। साथ ही हमने प्लांट से जुड़े 15—20 लोगों के प्रत्येक समूह को 100 पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया है, ये समूह विगत तीन वर्षों से लगातार वृक्षारोपण पर ध्यान दे रहे हैं। हमारी सहयोगी ईकाईयों में भी हम वृक्षारोपण हेतु विशेष ध्यान दे रहे हैं, और आगामी 2—3 वर्षो में इसका परिणाम आप लोगों को दिखने लगेगा।

पूर्ण विकसित होने पर जब भी आप वहॉ से गुजरेंगे तो काफी घना वृक्षारोपण आपको दिखेगा। इसके अतिरिक्त सी.एस.आर. एवं अन्य माध्यमों से भी हम कार्य करते रहें हैं, और आगे भी करेंगे, निर्धन कन्या विवाह का हमने बीड़ा उठाया हुआ है, और जिन गरीब बच्चों को किसी कारण से शिक्षा नही मिलती है, हम उसमें भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति भी हमारा पूरा सहयोग रहा है। हम हर किसी को जहॉ पर भी, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है या किसी कारण से बीमार है, हम उसकी भी पुरी सहायता करते हैं। निर्धन कन्या विवाह के संबंध में सरपंच की एक चिठ्ठी मात्र से निर्धारित राशि का त्वरित भुगतान किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त शासन के आदेश, निर्देशों का पालन किया जायेगा।

अंत मे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया ने जन सुनवाई की कार्यवाही समाप्त घोषित की।

यह लोक सुनवाई प्रातः लगभग 11:48 बजे प्रारंभ होकर दोपहर लगभग 12:25 बजे संपन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान कुल 02 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्नक–1 अनुसार है। संपूर्ण लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

(डॉ0 रेणुका श्रीवास्तव)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला
रायपुर (छ.ग.)